

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6 / वि०पत्रा०-24-50 / 2024

पटना, दिनांक—

श्री कुमार तुषारेन्द्र, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), दरभंगा अंचल-1, दरभंगा को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-01.01.2026 से 12.01.2026 तक कुल 12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री तुषारेन्द्र के अवकाश लेखा में (118-12=106) (एक सौ छः) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / —

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-50 / 2024

1188

/पटना, दिनांक- 07/1/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना-800015 / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल-1, दरभंगा / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था०), एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री कुमार तुषारेन्द्र, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), दरभंगा अंचल-1, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।